सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या **26/2013** दायर दिनांक **29.01.2013**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सुखाराम पुत्र रामकुँवार, 2. रामदेव पुत्र रामकुँवार, 3. पूर्णमल पुत्र रामकुँवार, 4. श्योपारी पत्नी रामकुँवार, 5. तोलाराम पुत्र पनाराम, (फौत), के वारिसान्– 05/01 दलादेवी पत्नी स्वर्गीय तोलाराम, 05/02 पूसाराम पुत्र स्वर्गीय तोलाराम, 05/03 मंगलाराम पुत्र स्वर्गीय तोलाराम, 05/04 पीसीदेवी पुत्री स्वर्गीय तोलाराम, 6. मगनीराम पुत्र पनाराम, 7. खेताराम पुत्र पनाराम, 8. गोवर्धन पुत्र पनाराम, 9. रामाकिशन पुत्र भँवरू उर्फ भँवरलाल, 10. रामगोपाल पुत्र भँवरू उर्फ भँवरलाल, 11. मदनलाल पुत्र भँवरू उर्फ भँवरलाल, समस्त,जाति–माली, निवासी–आड़काबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. समालीन पुत्र सतार, 2. सिकन्दर पुत्र सतार, 3. लियाकत पुत्र सतार, 4. नासीर पुत्र सतार, 5. मुस्तकीन पुत्र सतार, 6. साकीर पुत्र सतार, 7. साबिया पुत्री सतार, 8. जरीना पुत्री सतार, 9. समीना पुत्री सतार, 10. नसरीन पुत्री सतार, 11. रेमत पत्नी सतार, समस्त,जाति–देशवाली, निवासी–रामसाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. असलम पुत्र निजाम, 13. युसुब पुत्र निजाम, 14. मरियम पत्नी इब्राहिम, 15. इलियत पुत्र इब्राहिम, 16. मोहम्मद सदाम पुत्र इब्राहिम, 17. नसरीन पुत्री इब्राहिम, 18. नजमा पुत्री इब्राहिम, 19. जुबी पुत्री इब्राहिम, 20. जेनब पुत्री इब्राहिम, 21. सामिना पुत्री इब्राहिम, 22. जायदा पुत्री इब्राहिम, 23. समरीन पुत्री इब्राहिम, समस्त,जाति–देशवाली, निवासी–लाडाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 24. उपपंजीयक डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 25. नसीबन पुत्री हासमअली, 26. हाफिजन पुत्री हासमअली, 27. जन्ना पुत्री हासमअली, समस्त,जाति–मुसलमान देशवाली, निवासी–रामसाबास, हाल,निवासी–गरदेज्याबासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		28. जब्बार पुत्र रहमतअली, 29. अजीज पुत्र रहमतअली, 30. मजीद पुत्र रहमतअली, 31. आमना पुत्री रहमतअली, 32. माशेला पुत्री रहमतअली, 33. आसिया पुत्री रहमतअली, 34. जरिना पुत्री रहमतअली, समस्त,जाति–देशवाली, निवासी–रामसाबास, हाल,निवासी–गरदेज्याबासनी, जिला–नागौर, राजस्थान, 35. ईसाक पुत्र हासमअली, जाति–मुसलमान देशवाली, निवासी–रामसाबास, हाल,निवासी–गरदेज्याबासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 36. जितेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 37. मोहम्मद जावेद पुत्र उम्मेदखाँ, जाति–पठान, निवासी–कुचामनरोड़, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 38. धर्मपाल पुत्र रामनिवास, जाति–जाट, निवासी–घिरड़ोदामीठा, तहसील–लाडनूँ, जिला–नागौर, राजस्थान, 39. मोहम्मद असलम पुत्र रहमान, जाति–मुसलमान व्यापारी, निवासी–मौहल्ला फेहपुरियान, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 40. मोहम्मद असलम पुत्र अब्दुल गफार, जाति–मुसमान व्यापारी, निवासी–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 26/2013
दायर दिनाँक 29.01.2013, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
सुण्डाराम, वगैरा बनाम् सवालीन, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र माथुर वकील वादीगण
2. रामगोपाल अग्रवाल, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 36 ता 40 की ओर से।

दिनाँक 15.02.2019

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा रामसाबास के पुराना खसरा नम्बर 401 रकबा 35.06 बीघा भूमि अवस्थित है। उक्त पुराना खसरा नम्बर 401 के नये खसरा नम्बर 476 रकबा 27.13 बीघा, खसरा नम्बर 477 रकबा 02.03 बीघा, खसरा नम्बर 479 रकबा 26.08 बीघा तथा खसरा नम्बर 480 रकबा 26.02 बीघा बने। नकल मिलान पेश है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही वादग्रस्त भूमि पर वास्तविक एंव भौतिक कब्जाकाश्त वादीगण के पिता रामकुँवार, पनाराम तथा भँवरू उर्फ भँवरलाल की रही है, उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण का ही कब्जाकाश्त है। सम्वत् 2010–14 की गिरदावरियाँ पेश है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रभाव सम्वत् 2012 में हुआ। उक्त सुसंगत समय की उक्त गिरदावरियों में काश्त वादीगण के पितागण की ही दर्ज है। वादीगण के पितागण के अलावा अन्य किसी का कब्जाकाश्त नहीं रहा है आज भी बेरोक–टोक वादीगण का ही कब्जाकाश्त है।

राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल से कालान्तर में गलत रूप से मुस्मात लाडा व अन्य का नाम आ गया एवं सम्पूर्ण भूमि के 5/8 भाग में पूर्णतया गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम की खातेदारी दर्ज हो गयी जबकि सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण के अलावा अन्य किसी का कोई कब्जाकाश्त नहीं था। गलती से दर्ज हुई खातेदारी ईशाक पुत्र कालू स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया कि उक्त पर उसका या कस्टोडियन विभाग का या अन्य किसी का कोई

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उक्त ईशाक पुत्र लालू देशवाली ने दिनाँक 31.03.1970 को सम्बन्धित विभाग में रिवर्जन अधिकार का विक्रय–पत्र का विलेख भी पेश कर सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण के पिता का हक अधिकार तथा कब्जा होना स्वीकार किया। उक्त लाडा का काफी समय पूर्व लाऔलाद स्वर्गवास हो गया है उसके किसी वारिसान् की जानकारी वादी पक्ष को नहीं है। वादीपक्ष की सद्भावी जानकारी से उक्त लाडा के कोई वारिसान् नहीं हैं।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि वर्णित उक्त समस्त विवादित खसरा नम्बरान् कि खातेदारी भी कानूनन् वादीगण के नाम ही हो जानी चाहिए थी। जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आया तब व इससे पूर्व की व इसके पश्चात् भी तब से लेकर आज तक लगातार बेरोक–टोक सम्पूर्ण खसरान् पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा तथा काश्त केवल वादीपक्ष व इनके पूर्वजों की ही रही है। प्रतिवादीगण का या इनके पूर्वजों का कभी कोई कब्जा एवं काश्त नहीं रहा जो स्थिति राजस्व अभिलेख से स्पष्ट है। यही नहीं ईसाक पुत्र लालू देशवाली के विलेख दिनाँक 31.03.1970 से भी यह स्थिति स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में विधिक रूप से उक्त वर्णित समस्त खसरान् की खातेदारी वादीगण अपने नाम प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए घोषणा खातेदारी का यह वाद पेश है। सम्बन्धित राजस्व अभिलेख से प्रतिवादीगण का उक्त खसरान् में से नाम हटाया जाकर उनके स्थान पर वादी का नाम अंकित कर अभिलेख को इसी अनुरूप दुरस्त किये जाने बाबत् भी यह वाद पेश है। विदित रहे कि सहखातेदारी कस्टोडियन विभाग के विरुद्ध वादीगण ने पृथक से नियमानुसार कार्यवाही सक्षम अधिकारी के समक्ष कर रखी है जिस प्रकरण के क्रमांक 161/2012 सुण्डाराम बनाम् राजस्थान सरकार है।

प्रतिवादीगण इस गलत खातेदारी की आड़ में शीघ्रतिशीघ्र उक्त खेतों को बिना किसी अधिकार व कब्जा के हस्तान्तरित करने की अवैध योजना रखते हैं। यही नहीं, वे जबरन लाठी के जोर से विवादित खसरान् की भूमि पर जबरन हस्तक्षेप व कब्जा करना चाहते हैं जिस बाबत् उन्हें रोका जाना आवश्यक है। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 26/2013
दायर दिनाँक 29.01.2013, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
सुण्डाराम, वगैरा बनाम् सवालीन, वगैरा।

का वाद भी पेश है। ऐसी धमकी गत वर्ष तथा अभी जनवरी 2013 के प्रथम सप्ताह में प्रतिवादी पक्ष ने ही है।

वाद में तहसीलदार डीडवाना को पक्षकार बनाया गया है परन्तु उनके विरूद्ध किसी पक्षकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने के कारण धारा 80 सी.पी.सी. को नोटिस दिये बिना ही उक्त वाद पेश है।

वाद हैतुक उत्पन्न हुआ जब वादीगण अपने कब्जाकाश्त के खेतों को सम्भालने गये व काश्त कार्य करने गये तब प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐसा करने से मना किया तथा इस आशय की धमकी दी कि उक्त खेत उनके खातेदारी का है, तब वादीगण की जानकारी में आया तथा राजस्व रिकॉर्ड निकलवाया तब बमुकाम डीडवाना में माह जनवरी 2013 में उत्पन्न हुआ।

वादीगण ने आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. का आवेदन पेश कर दावा संशोधन किया। संशोधन वाद अनुसार, विक्रय–पत्र क्रमांक 3063/16, 3064/16, 3065/16, 3066/16 व 3067/16 वादीगण के हित व अधिकारों के प्रतिपूर्णरूप से अवैध व शून्य हैं।

प्रार्थना वादीगण है कि,

मौजा रामसाबास के खसरा नम्बर 476 रकबा 27.13 बीघा, खसरा नम्बर 477 रकबा 02.03 बीघा, खसरा नम्बर 479 रकबा 26.08 बीघा तथा खसरा नम्बर 480 रकबा 26.02 बीघा भूमि में से प्रतिवादीगण के नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे व विक्रय–पत्र क्रमांक 3063/16, 3064/16, 3065/16, 3066/16 व 3067/16 वादीगण के हित व अधिकारों के प्रतिपूर्णरूप से अवैध व शून्य घोषित किया जावे। इस आशय की डिक्री वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जावे। वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

उक्त भूमि का नामान्तरकरण विक्रय–विलेख आदि किसी अन्य व्यक्ति के नाम नहीं करे, इस आशय की डिक्री भी वादीगण के पक्ष में जारी की जावे।

अतिरिक्त कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 26/2013
दायर दिनाँक 29.01.2013, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
सुण्डाराम, वगैरा बनाम् सवालीन, वगैरा।

अन्य कोई उचित अनुतोष जो वादीगण के हित व लाभ को हो कि डिक्री भी वादीगण के पक्ष में जारी की जावे तथा वाद का सम्पूर्ण व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 40 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 24 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 23 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 23 की ओर से आदेश 07 नियम 11 सी.पी. सी. का प्रार्थना–पत्र पेश हुआ जो, पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया।

वादीगण ने आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. के दिनाँक 23.06.2017 व 08.09.2017 को पेश हुए जिन पर आपत्ति न होने से नियमानुसार स्वीकार किये गये।

वाद में निम्न तनकियात् कायम किये गयेः–

1. आया नये खसरान् नम्बर 476, 477, 479 व 480 सरहद रामसाबास की खातेदारी में से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाने एवं वादीगण अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं?

   वादीगण,

2. आया वादीगण वाद में वांछित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

   वादीगण,

3. आया रिवर्जन विक्रय–पत्र दिनाँक 31.03.1970 पूर्णतया फर्जी षडयन्त्रपूर्वक व कूटरचित हैं?

   प्रतिवादीगण,

4. आया कथित रिवर्जन विक्रय–पत्र प्रोपर मुद्रांक पर न होने व पंजीकृत न होने से एडमिसेबल ईविडेंस नहीं हैं?

   प्रतिवादीगण,

5. आया स्वर्गीय लाडा को वारिसान् के पक्षकार नहीं बनाया गया जिसके अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है?

   प्रतिवादीगण,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

6. आया करटोडियन विभाग एवं जिला कलक्टर को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है?

प्रतिवादीगण,

7. आया 43 वर्षों तक वादीगण माली परिवार द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं करने पर यह वाद पूर्णतया मयाद बाहर है एवं खारिज किये जाने योग्य है?

प्रतिवादीगण,

8. आया खसरा नम्बर 401 रकबा 85.08 बीघा की खातेदारी देशवाली परिवार की है तथा माली परिवार का नाम बतौर राहिन दर्शित है यदि ऐसा होता है तो उसका वाद पर असर?

प्रतिवादीगण,

9. अनुतोष?

वकील वादी द्वारा आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14(3) सी.पी.सी. का पेश हुआ जिसका जवाब वकील प्रतिवादीगण द्वारा दिया गया। वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी गयी, जो स्वीकार किया गया।

वकील प्रतिवादीगण द्वारा गवाह सुण्डाराम, मो0 मुशी, सदीक, भँवरलाल, हनुमान, से जिरह पूरी की गयी।

विद्वान वकुलाय उभयपक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील वादी, दावा डिक्री किये जाने का निवेदन कर रहे है। वकील प्रतिवादी का तर्क है कि, दस्तावेज संख्या एक जो कि दिनाँक 31.03.1970 विक्रय–विलेख किया जाना अंकित है वह एक पंजीकृत दस्तावेज नहीं होने से इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है तथा इसे पढा नहीं जा सकता है। दौराने वाद विक्रय–पत्र क्रमांक 3063/16 ता 3067/16 दिनाँक 26.09.2016 दस्तावेजात्, पंजीकृत हुए हैं जिनको निरस्त कराने हेतु पक्षकारान् के बीच माननीय सिविल न्यायालय में मामला विचाराधीन हैं। उक्त पंजीकृत दस्तावेजात् को इस न्यायालय द्वारा अवैध व प्रभाव शून्य किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। वादीगण कब्जे के आधार पर खातेदारी चाहते हैं जो कि दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय से भी यह प्रभावित है। अतः हस्तगत वाद खारिज किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धित विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

बहस के दौरान वकुलाय पक्षकारान् दिये गये तर्कों पर मनन् करने व मिसल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का विश्लेषण करने पर सामने आया कि, वादीगण द्वारा रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध इकरारनामा (भूमि अधिकार के रिवर्जन अधिकार का विक्रय–पत्र) दिनाँक 31.03.1970 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज अन रजिस्टर्ड दस्तावेज है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार हैं तथा कानूनन् उनके कब्जे से किसी भी सूरत में इन्कार नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण ने अपने खातेदारी अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी संख्या 36 ता 40 को रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख के जरिये दिनाँक 26.09.2016 को विक्रीत की जा चुकी है जिसके सम्बन्ध में यद्यपि वादीगण का कथन है कि उक्त सक्षम न्यायालय में चुनौति दी गयी है परन्तु उक्त दस्तावेज को चुनौति देने का कोई प्रमाण पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया हुआ है। इस प्रकार रिकॉर्डेड व रजिस्टर्ड दस्तावेज के समक्ष वादीगण को केवल मात्र ईकरारनामा दिनाँक 31.03.1970 के आधार पर खातेदारी के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यद्यपि वादीगण ने तनकी संख्या 01 व 02 जिनको साबित करने का भार वादीगण पर था, के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेज से खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का कोई आधार प्राप्त होता हो ऐसा कोई आधार नहीं बनता है। इसलिए तनकी संख्या 01 व 02 को वादीगण साबित करने में पूर्णरूप से विफल रहने से उक्त दौनों तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है। तनकी संख्या 03 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था जिसके सम्बन्ध में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उक्त दस्तावेज का अस्तित्व होना वादीगण साबित नहीं कर पाये हैं इसलिए उक्त तनकी संख्या 03 वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है। तनकी संख्या 04 अन रजिस्टर्ड दस्तावेज होने से साक्ष्य में ग्राह नहीं है। दक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था जिसके सम्बन्ध में रिवर्जन विक्रय–पत्र दिनाँक 31.03.1970 को देखने मात्र से ही प्रतीत होता है कि उक्त दस्तावेज अन

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

रजिस्टर्ड है जिसका विधिक कोई महत्व नहीं रह जाता है। तनकी संख्या 05 लाडा के वारिस को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार लाडा की एक पुत्री जीवणी थी जिसका निकाह गरदेजां बासनी निवासी हासम देशवाली से हुआ था जिसके तीन पुत्र हुए जिसमें से दो पुत्र रहमत अली व युसुफ की मृत्यु हो चुकी है तथा एक पुत्र इसाक आज भी जीवित है। उक्त लाडा के वारिसान् को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए उक्त तनकी संख्या 05 वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है। तनकी संख्या 06 कस्टोडियन विभाग व जिला कलक्टर को पक्षकार नहीं बनाने के सम्बन्ध में है। वाद पत्र के अवलोकन से वादीगण द्वारा कस्टोडियन विभाग जिला कलक्टर को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे। इसलिए तनकी संख्या 06 वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है। तनकी संख्या 07 वाद का 43 सालों बाद वादीगण द्वारा वाद पेश करने के सम्बन्ध में है व मयाद बाहर है। उक्त वाद को वादीगण द्वारा 43 सालों बाद पेश करने का कोई वादीगण ने कोई अधिकार पेश नहीं किया होने से उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है। तनकी संख्या 08 खसरा नम्बर 401 रकबा 85.08 बीघा की खातेदारी देशवाली परिवार की होने व माली परिवार का नाम बतौर राहिन दर्शित होने के सम्बन्ध में है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था जो कि साबित नहीं कर पाने से इस तनकी को वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है। तनकी संख्या 10, विक्रय–पत्र क्रमांक 3063/16 ता 3067/16 दिनाँक 26.09.2016 को वादीगण पक्ष के हित व अधिकारों के प्रति प्रभावशून्य व अवैध होने के सम्बन्ध में है जो कि जिम्मे वादीगण था। यद्यपि उक्त दस्तावेज को चुनौति देने का कोई प्रमाण पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया हुआ है परन्तु वादीगण का कथन है कि उक्त दस्तावेजात् को सक्षम न्यायालय में चुनौति दी गयी है। इसलिए इस तनकी को इस स्तर पर किसी के पक्ष में तय किये जाने का कोई औचित्य होना प्रतीत नहीं होता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 26/2013
दायर दिनाँक 29.01.2013, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
सुण्डाराम, वगैरा बनाम् सवालीन, वगैरा।

वादीगण ने उक्त इकरारनामा (भूमि अधिकार के रिवर्जन अधिकार का विक्रय–पत्र) दिनाँक 31.03.1970 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज अन रजिस्टर्ड दस्तावेज है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार हैं तथा कानूनन् उनके कब्जे को किसी भी सूरत में इन्कार नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय से भी हस्तगत वाद प्रभावित है। उक्त अन रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख के आधार पर तथा वाद वर्णित कब्जे के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। ऐसी स्थिति में, वादीगण का वाद खारिज किया जाना अदालत को न्यायाचित प्रतीत होता है।

आदेश

हस्तगत वाद सारहीन होने के कारण पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 15.02.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 26/2013 दायर दिनाँक 29.01.2013

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सुण्डाराम पुत्र रामकुँवार, 2. रामदेव पुत्र रामकुँवार, 3. पूर्णमल पुत्र रामकुँवार, 4. श्योपारी पत्नी रामकुँवार, 5. तोलाराम पुत्र पनाराम, (फौत), के वारिसान्– 05/01 दलादेवी पत्नी स्वर्गीय तोलाराम, 05/02 पूसाराम पुत्र स्वर्गीय तोलाराम, 05/03 मंगलाराम पुत्र स्वर्गीय तोलाराम, 05/04 घीसीदेवी पुत्री स्वर्गीय तोलाराम, 6. मगनीराम पुत्र पनाराम, 7. खेताराम पुत्र पनाराम, 8. गोवर्धन पुत्र पनाराम, 9. रामाकिशन पुत्र भँवरू उर्फ भँवरलाल, 10. रामगोपाल पुत्र भँवरू उर्फ भँवरलाल, 11. मदनलाल पुत्र भँवरू उर्फ भँवरलाल, समस्त,जाति–माली, निवासी–आड़काबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सवालीन पुत्र सतार, 2. सिकन्दर पुत्र सतार, 3. लियाकत पुत्र सतार, 4. नासीर पुत्र सतार, 5. मुस्तकीन पुत्र सतार, 6. साकीर पुत्र सतार, 7. राबिया पुत्री सतार, 8. जरीना पुत्री सतार, 9. समीना पुत्री सतार, 10. नसरीन पुत्री सतार, 11. रेमत पत्नी सतार, समस्त,जाति–देशवाली, निवासी–रामसाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. असलम पुत्र निजाम, 13. युसुब पुत्र निजाम, 14. मरियम पत्नी इब्राहिम, 15. इलियत पुत्र इब्राहिम, 16. मोहम्मद सदाम पुत्र इब्राहिम, 17. नसरीन पुत्री इब्राहिम, 18. नजमा पुत्री इब्राहिम, 19. जुबी पुत्री इब्राहिम, 20. जेनब पुत्री इब्राहिम, 21. समिना पुत्री इब्राहिम, 22. जायदा पुत्री इब्राहिम, 23. समरीन पुत्री इब्राहिम, समस्त,जाति–देशवाली, निवासी–लाडाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 24. उपपंजीयक डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 25. नसीबन पुत्री हासमअली, 26. हाफिजन पुत्री हासमअली, 27. जन्ना पुत्री हासमअली, समस्त,जाति–मुसलमान देशवाली, निवासी–रामसाबास, हाल,निवासी–गरदेज्याबासनी,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 28. जब्बार पुत्र रहमतअली, 29. अजीज पुत्र रहमतअली, 30. मजीद पुत्र रहमतअली, 31. आमना पुत्री रहमतअली, 32. माशेला पुत्री रहमतअली, 33. आसिया पुत्री रहमतअली, 34. जरिना पुत्री रहमतअली, समस्त,जाति–देशवाली, निवासी–रामसावास, हाल,निवासी–गरदेज्यावासनी, जिला–नागौर, राजस्थान, 35. ईसाक पुत्र हासमअली, जाति–मुसलमान देशवाली, निवासी–रामसावास, हाल,निवासी–गरदेज्यावासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 36. जितेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 37. मोहम्मद जावेद पुत्र उम्मेदखाँ, जाति–पठान, निवासी–कुचामनरोड, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 38. धर्मपाल पुत्र रामनिवास, जाति–जाट, निवासी–धिरडोदामीठा, तहसील–लाडनूँ, जिला–नागौर, राजस्थान, 39. मोहम्मद असलम पुत्र रहमान, जाति–मुसलमान व्यापारी, निवासी–मौहल्ला फेहपुरियान, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 40. मोहम्मद असलम पुत्र अब्दुल गफार, जाति–मुसमान व्यापारी, निवासी–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 15.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री राजेन्द्र माथुर वकील वादीगण व रामगोपाल अग्रवाल, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 36 ता 40 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्तगत वाद सारहीन होने के कारण पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 15.02.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner